

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-हरियाणा सरकार की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2 के मुख्य शब्द

प्राक्कथन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151

अध्याय-1: संक्षिप्त अवलोकन

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की विभिन्न प्रक्रिया, संगठनात्मक संरचना, राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति, योजनाओं का चयन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लाभों के संवितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा पद्धति, लेखापरीक्षा परिणाम तथा आभारोक्ति

अध्याय-2: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए पुनःअभियंत्रण प्रक्रिया

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए प्रलेखन तैयार न करना; पेंशन लाभों के संवितरण में विलंब; लाभार्थियों के विलंब से नामांकन के कारण वांछित लाभ प्रदान करने में विलंब; लाभार्थियों के नामांकन में विलंब से सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होना; सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संवितरण के लिए विशिष्ट समय-सीमा का पालन न करना; मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण; पेंशन डाटाबेस में लाभार्थियों की आय का अद्यतन न होना; लाभार्थियों के मास्टर डाटाबेस के डिजिटलीकरण में कमी; एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को संवितरित पेंशन; दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ लाभ देकर अनुचित लाभ; सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में लाभार्थियों की पेंशन का अंतरण; अपात्र लाभार्थियों को भुगतान; सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण; पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण; अपूर्ण लिगेसी डाटा की पोर्टिंग; सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का अभाव; उपयोगकर्ताओं/कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव; व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना न होना; कमजोर पहुंच नियंत्रण; सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स; एक ही दिन में अनेक लाभार्थियों का अनुमोदन; बैंकों और डाकघरों को कमीशन का अनियमित भुगतान; राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर बचत डाटा का अद्यतन न होना; राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा न करना।

अध्याय-3: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आधारभूत संरचना, संगठन और प्रबंधन

सभी विभागों की सभी योजनाओं पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन न होना, सलाहकार बोर्ड की त्रैमासिक बैठक का आयोजन न करना, राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का डाटा साझा न करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल न करना, निधियों के अंतरण के संबंध में निर्देश की अनुपालना न करना।

अध्याय-4: निष्कर्ष